न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

——प्रार्थीगण

बनाम

पदम चद पुत्र रतनलाल जैन निवासी केकड़ी

——अप्रार्थी

वादपत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी— प्रार्थी
श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ वकील— अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 10.12..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उनके निवेदन पर एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित किया जाकर अप्रार्थी को पाबंद किया गया था कि कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069—72 के खाता नंबर 1420 मे वर्णित खसरा नबर 6205 रकबा 0.39 की आराजी की आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने व वर्तमान प्रविष्टि के अनुसार किसी प्रकार का रहन बेचान या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्धारा जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनो पर आधारित होने से खारिज किया जाने के योग्य है। अतिरिक्त कथन मे बताया कि भूमि खसरा नंबर 6205 रकबा 0.39 है0 नगर पालिका केकड़ी की सीमा में स्थित है इस कारण ग्रामीण क्षैत्रों मे कृषि भूमि मे संपरिवर्तन नियम लागू नहीं होते है। इस आराजी को नगर पालिका द्धारा जरिये आदेश कमांक नपाके / बैठक / 2016—17 / 2456 मे भू उपयोग परिवर्तन आदेश हो चुका है जिसकी प्रति संलग्न है। इस कारण धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा दावा चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर बहस सुनी गई।

विद्धान पैरोकार सरकार तहसीलदार ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया तथा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी कर दिया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रश्नगत आराजी का भू उपयोग परिवर्तन हो चुका है तथा नगर पालिका मण्डल द्धारा भू उपयोग संपरिवर्तन आदेश

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

प्रसारित किये जा चुके है। ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैने पैरोकार सरकार व विद्वान वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रश्नगत आराजी बाबत् जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी किया जाना उचित नहीं है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को जारी रखना न्यायसंगत नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाने हेतु खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे बाद शहादत तय किया जावेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.18 17:49:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: